

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वन धकारी टिहरी डैम प्रथम नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वन धकारी टिहरी डैम प्रथम नई टिहरी के माह 02/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार लेखापरीक्षक तथा श्री वनीत निगम सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.09.2017 से 11.09.2017 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री श्रवण कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री मुकेश कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री ए सी कटियार व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 29.02.2016 से 09.03.2016 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से माह 01/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई है

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वनीकरण

- (i) (ii) (अ) **राजस्व विवरण:**

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2014-15	30025
2015-16	226485
2016-17	11949

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष	आयोजनगत				आयोजनेतर			
	आवंटन		व्यय		आवंटन		व्यय	
	केंद्रान्श	राजयांश	केंद्रान्श	राजयांश	केंद्रान्श	राजयांश	केंद्रान्श	राजयांश
2014-15	25.62	147.68	25.62	147.68	--	425.83	--	425.83
2015-16	2.00	123.48	2.00	125.18	--	395.76	--	395.76
2016-17	3.45	95.29	3.45	95.24	--	486.41	--	435.23

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिव्यय (+)	बचत (-)
2015-16	इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	0	2.00	2.00	0
2016-17	इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	0	3.45	3.45	0

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. प्रमुख वन संरक्षक
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक
3. मुख्य वन संरक्षक
4. वन संरक्षक
5. प्रभागीय वनाधिकारी

## प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-78/2016-17

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वन धकारी टिहरी डैम प्रथम नई टिहरी (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वन धकारी टिहरी डैम प्रथम नई टिहरी (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

### (vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2017 का चयन व्यय की वस्तरत जांच एवं 03/2016 का चयन अंकगणतीय शुद्धता के लए कया गया

माह 03/2016 का चयन प्राप्तियों की वस्तरत जांच एवं माह 07/2016 का चयन अंकगणतीय शुद्धता के लए कया गया

### (vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 01 : प्रभाग में आंतरिक नियंत्रण की कमी पाया जाना

प्रभाग के अंतर्गत आने वाले धारकोट डैम रेंज के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि रेंज द्वारा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए श्रमकों को दिनांक 31.03.2017 को पंजाब नेशनल बैंक नई टिहरी शाखा से चेक संख्या 849853 तथा 849852 द्वारा क्रमशः 9,43,615/ तथा 4,77,937/ का भुगतान RTGS के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया था इस संबंध में रेंज द्वारा प्रस्तुत श्रमकों की सूची एवं संबन्धित मस्टर रोल में 12 श्रमक जिनका नाम मस्टर रोल में नहीं था, को भी कुल भुगतान 2,66,806/ करने का निर्देश दिया गया था। 12 अप्रैल 2017 में रेंज द्वारा बैंक को उक्त 12 श्रमकों का भुगतान नहीं करने तथा अन्य 13 श्रमकों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया,

उपरोक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा आपत्त कए जाने पर प्रभाग ने उत्तर दिया कि बिल का पारण प्रभाग स्तर से न करके राजि स्तर से किया गया है तथा बैंक द्वारा प्रारम्भ में धनराश हस्तांतरित कर दी गई थी परंतु उक्त श्रमकों के अपात्र होने के संबंधी जानकारी रेंज स्तर को प्राप्त होने पर वन क्षेत्राधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही कर बैंक से हस्तांतरित धनराश को राजि के खाते में प्राप्त कर लिया गया था,

प्रभाग के उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रभाग में राजि स्तर पर आंतरिक नियंत्रण का अभाव है, जिसके फलस्वरूप अपात्र श्रमकों का नाम भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित कर दिया गया।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN-1**

वन पंचायतों को आवंटित धनराश 1.99 लाख का उपयो गता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कया जाना।

नियमानुसार कसी इकाई को धनराश उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात उसका उपयो गता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए. प्रभाग के वन पंचायत संबंधी अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में व भन्न वन पंचायतों को चरागाह वकास वृक्षारोपण तथा वन पंचायतों के सुदृढीकरण हेतु निम्न 09 वन पंचायतों को 754000/ की धनराश आवंटित की गई थी।

वन पंचायत का नाम	आवंटित धनराश
म्युण्डा	83655
खतबाड़ी	83655
केमवलगांव	79055
बिरोगी	79155
लोम	81075
छेली	79405
दुवाकोटी	89400
बंगद्वारा	89300
वतरोना	89300
कुल योग	754000

उपरोक्त वन पंचायतों द्वारा प्रस्तुत उपयो गता प्रमाणपत्रों की जांच में पाया गया क निम्न वन पंचायतों ने लेखा परीक्षा तिथ (सतंबर 17) तक 198920/के उपयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कए थे।

वन पंचायत का नाम	धनराश
म्युण्डा	8655
खतबाड़ी	83655
केमवलगांव	8655
बिरोगी	8655
बंगद्वारा	89300
कुल योग	198920

**प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-78/2016-17**

उपरोक्त में से खतबाड़ी और बंगद्वारा वन पंचायतों ने उनको आवंटित सम्पूर्ण धनराश का उपयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, उपयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कए जाने के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर प्रभाग ने उत्तर दिया क उपयो गता प्रमाणपत्र शीघ्र प्राप्त करके संप्रेक्षा को सू चत किया जाएगा, उत्तर मान्य नहीं है, प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 02 : स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्यरत होना।

प्रभाग द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न पदों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्यरत हैं

संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	अधिक्य
उपराजिक	04	07	03
वन दारोगा	13	21	08
प्रधान सहायक	01	03	02

स्वीकृत के सापेक्ष अधिक कार्यरत के संबंध में प्रभाग ने उत्तर दिया कि अधिक कार्यरत पद कुछ संवर्गों में रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किये जा रहे हैं तथा इस संबंध में उच्च स्तर से कार्यवाही की जानी है। उत्तर मान्य नहीं है, प्रभाग ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार नहीं किया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्यरत के संबंध में प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

भाग 2 (ब)

प्रस्तर03 : वर्ष 2016-17 में 95% राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सकना ।

प्रभाग के राजस्व प्राप्ति एवं उसके लक्ष्य संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वगत तीन वर्षों में प्रभाग अपने राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है ।

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी
2014-15	411000	30025	380975 (93%)
2015-16	333000	226485	106515 (32%)
2016-17	220000	11949	208051 (95%)

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि प्रभाग अपने राजस्व लक्ष्य को वगत तीन वर्षों में प्राप्त करने में असफल रहा है। वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्ति लक्ष्य के सापेक्ष 95% तक कम रही है । इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा अवगत कराने पर प्रभाग ने उत्तर दिया कि राजस्व के लक्ष्य उच्च स्तर से निर्धारित किए जाते हैं तथा यह प्रभाग अक्षेत्रीय वन प्रभाग है जिसमें राजस्व संग्रह की संभावना नहीं है। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है, राजस्व संग्रह की संभावना नहीं होने के कारण राजस्व लक्ष्य कम करने के संबंध में वन संरक्षक कार्यालय से पत्राचार करने की आवश्यकता है। प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।



**भाग-III**

**राजस्व से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा क्षे स्त्रे प प्र/209/2015-16		व्यय 1,2 प्राप्ति 1
सा क्षे स्त्रे प प्र/35/2013-14		01
सा क्षे स्त्रे प प्र/22/2011-12		1,2,3
सा क्षे स्त्रे प प्र/50/2006-07	1,2	
सा क्षे स्त्रे प प्र/63/2003-04	1,2	
सा क्षे स्त्रे प प्र/19/2001-02	1	
सा क्षे स्त्रे प प्र/44/2000-01	1	
सा क्षे स्त्रे प प्र/65/1998-99	1	
सा क्षे स्त्रे प प्र/05/1997-98	1,2	
सा क्षे स्त्रे प प्र/07/1994-95	1,2	
सा क्षे स्त्रे प प्र/18/1988-89	1	
सा क्षे स्त्रे प प्र/209/2015-16		व्यय 1,2 प्राप्ति 1

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वन धकारी टिहरी डैम प्रथम नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	श्री बी पी सिंह	प्रभागीय वन धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभागीय वन धकारी टिहरी डैम प्रथम नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

**लेखापरीक्षा अधिकारी**